क्रम-संख्या--186

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०--
डब्लू०/एन०पी०- 91/2014--16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 जुलाई, 2015

आषाढ़ 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग--1

संख्या 1522/6--पु--1--15--1300(10)-2012

लखनऊ, 01 जुलाई, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०--35

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 40, सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम--5 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ--1 में दिए गये विद्यमान नियम--5 के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 विद्यमान नियम	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5-भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-- (एक) सहायक रेडियो अधिकारी-- (क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और	5-भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-- (एक) सहायक रेडियो अधिकारी-- (क) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) आयोग के माध्यम से स्थायी रेडियो निरीक्षकों में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु उपर्युक्त दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत किये जाय।	(ख) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से ऐसे रेडियो निरीक्षकों में से जिन्होंने इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी– आयोग के माध्यम से स्थायी सहायक रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को, अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नत के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	(दो) सहायक रेडियो अधिकारी– ज्येष्ठ वेतनमान – ऐसे सहायक रेडियो अधिकारियों में से जिन्होंने 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।
(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी– आयोग के माध्यम से स्थायी अपर राज्य रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी– ऐसे सहायक रेडियो अधिकारियों में से, जिन्होंने संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(चार) उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)– आयोग के माध्यम से स्थायी राज्य रेडियो अधिकारियों में से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद नियम 15 के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	(चार) राज्य रेडियो अधिकारी– ऐसे अपर राज्य रेडियो अधिकारियों में से, जिन्होंने संवर्ग में कुल 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	(पाँच) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)– ऐसे राज्य रेडियो अधिकारियों में से जिन्होंने संवर्ग में कुल 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, या ऐसे राज्य रेडियो अधिकारियों में से जिनकी नियुक्ति राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 के पूर्व लागू उपबन्धों के आधार पर सीधी भर्ती से हुई हो और जिन्होंने ऐसे पद पर 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार किया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(छः) निदेशक (पुलिस दूर संचार)– ऐसे उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) में से जिन्होंने संवर्ग में कुल 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार दिया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

नियम–8 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-शैक्षिक अर्हतायें–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये। (एक) सहायक रेडियो अधिकारी– एक विशेष विषय के रूप में बेतार (वायरलेस) के साथ भौतिकी में एम0एस–सी0 उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/ रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। इलेक्ट्रानिक्स/ रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव अभिमानी अर्हता होगी। (दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी– एक विशेष विषय के रूप में बेतार के साथ भौतिकी में एम0एस–सी0 की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान, इसके अतिरिक्त	" 8-सहायक रेडियो अधिकारी की शैक्षिक अर्हतायें– सेवा में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रानिक्स एवं टैलीकम्यूनिकेशन / इलेक्ट्रीकल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वायरलेस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि " एवं देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अभिमानी अर्हता इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) उसे किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये और इलेक्ट्रानिक्स/ रेडियो प्रौद्योगिकी का अद्यतन ज्ञान होना चाहिये।	
(ख) वह रेडियो उपस्कर के अधिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्यवेक्षण और निदेश कर सकें,	
(ग) वह रेडियो उपस्कर और सहायक सज्जा के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण और निदेश कर सकें।	
(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी– वही शैक्षिक और अन्य अर्हतायें होनी चाहिये जो अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिये अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रौद्योगिकी का कम से कम 7 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये।	
(चार) उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)– वही शैक्षिक और अन्य अर्हतायें होनी चाहिये जो राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिये अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रौद्योगिकी का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये।	

नियम–10 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-आयु–सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किए जायें, नीचे निर्दिष्ट वर्ग के पदों के सामने की गयी न्यूनतम आयु हो जानी चाहिए, और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए :–	10-आयु–सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किए जायें, नीचे निर्दिष्ट वर्ग के पदों के सामने की गयी न्यूनतम आयु हो जानी चाहिए, और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
(क) सहायक रेडियो अधिकारी	21	27
(ख) अपर राज्य रेडियो अधिकारी	21	35
(ग) राज्य रेडियो अधिकारी	21	45
(घ) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	21	50

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जाय :

परन्तु यह और कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी असाधारण रूप से अर्ह अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा शिथिल कर सकती है।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
(क) सहायक रेडियो अधिकारी	21	27

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय :

परन्तु यह और कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी असाधारण रूप से अर्ह अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा शिथिल कर सकती है।

नियम–16 का संशोधन

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सहायक रेडियो अधिकारी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

(2) (क) सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान), अपर राज्य रेडियो अधिकारी, राज्य रेडियो अधिकारी, उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) और निदेशक (पुलिस दूर संचार) के पद पर चयन उपनियम–1 में निर्दिष्ट

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
"	नियमावली के नियम–5 के खण्ड– (दो), (तीन), (चार), (पाँच) और (छः) में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगी। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:– (एक) सरकार के मुख्य सचिव – अध्यक्ष (दो) गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव अथवा सचिव – सदस्य (तीन) कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव अथवा सचिव – सदस्य
"	(चार) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा महानिदेशक / विशेष महानिदेशक / अपर महानिदेशक (पुलिस दूर संचार) उत्तर प्रदेश– सदस्य
"	परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों / जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को जो शासन के विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।
"	टिप्पणी–"पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ख) विभागाध्यक्ष प्रत्येक भर्ती वर्ष हेतु रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा,
	(ग) चयन समिति उपनियम (ख) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है,
	(घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची, भर्ती के समय राज्य सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
	(ङ) चयन सूची, चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

नियम–19 का संशोधन

6– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19–परिवीक्षा–(1) सेवा में मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति किसी पद पर नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	19–परिवीक्षा–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय:	
परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।	
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम–(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएँ समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।	
(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है।	

नियम–22 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
22–ज्येष्ठता– सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता वही होगी जो मौलिक रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जाय और यदि दो या अधिक व्यक्ति के साथ नियुक्त किए जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिस क्रम से उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें गये हों, परन्तुः– (एक) सेवा में सीधे नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय, (दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।	22–ज्येष्ठता–किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(6)

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) नियम—5—क के अधीन स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की सेवा में अन्य अधिकारी के मुकाबले में ज्येष्ठता उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में समकक्ष या उच्चतर पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक के पश्चात की गयी निरन्तर सेवा को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जायेगी। टिप्पणी— (एक) कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्य—भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। (दो) जब नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विर्निदिष्ट किया जाय जबसे किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा।	

8—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिए गये विद्यमान नियम—23 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :— नियम—23, का संशोधन

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23—वेतनमान— (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए गये हैं:—	23—वेतनमान— (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या स्थायी आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए गये हैं:—

स्तम्भ—1:

पद का नाम	वेतनमान
1— सहायक रेडियो अधिकारी	550—30—700—द0रो0—40—900—द0रो0—50—1200 रु0
2—अपर राज्य रेडियो अधिकारी	800—50—1050—द0रो0—50—1300—द0रो0— 50—1450 रु0
3— राज्य रेडियो अधिकारी	1400—50—1500—द0रो0—60—1800 रु0
4—उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	2000—125/2—2250 रु0

स्तम्भ—2:

पद का नाम	वेतनमान
(क)— सहायक रेडियो अधिकारी	पी0बी0—3 रु0 15,600— 39,100 ग्रेड पे —रु0 5400/—
(ख)—सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)	पी0बी0—3 रु0 15,600 — 39,100 ग्रेड पे — रु0 6600/—
(ग)— अपर राज्य रेडियो अधिकारी	पी0बी0—3 रु0 15,600 — 39,100 ग्रेड पे — रु0 7600/—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
	पद का नाम	वेतनमान
	(घ)– राज्य रेडियो अधिकारी	पी0बी0–4 रु0 37400–67000 ग्रेड पे –– रु0 8700/––
	(ङ)–उप महा निरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	पी0बी0–4 रु0 37400–67000 ग्रेड पे – रु0 8900/–
	(च)– निदेशक (पुलिस दूर संचार)	पी0बी0–4 रु0 37400–67000 ग्रेड पे –रु0 10000/–

परिशिष्ट–क का संशोधन

9–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान परिशिष्ट–क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट–क रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट	
परिशिष्ट–क		परिशिष्ट–क	
प्रत्येक श्रेणी की सदस्य संख्या		प्रत्येक श्रेणी की सदस्य संख्या	
1– उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)–	01	1– निदेशक (पुलिस दूर संचार)–	01
2– राज्य रेडियो अधिकारी–	01	2– उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)–	03
3– अपर राज्य रेडियो अधिकारी–	01	3– राज्य रेडियो अधिकारी–	05
4– सहायक रेडियो अधिकारी–	14	4– अपर राज्य रेडियो अधिकारी–	09
		5– सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)–	11
		6– सहायक रेडियो अधिकारी–	32

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह।